

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 6-7 / 2013 / सात / नजूल

भोपाल, दिनांक 27/01/2017

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
समस्त विभाग म0प्र0शासन,
2. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:—राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक 1 की कंडिका 36 में संशोधन—अन्य विभागों को भूमि का हस्तांतरण और आवश्यकता से अधिक हस्तांतरित अतिरिक्त भूमि की वापसी।

—00—

उक्त विषयक विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2013 के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार प्रथम परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“परन्तु संभागीय मुख्यालयों में भूमि का ऐसा हस्तांतरण संभागायुक्त के अनुमोदन से तथा राजधानी परियोजना क्षेत्र भोपाल के विकास योजना क्षेत्र (मास्टर प्लान एरिया) में राज्य शासन के अनुमोदन से किया जाएगा।”

- 2 / उक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा। यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का **अनुलग्न** भाग होगा।

राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(सुमन रायकवार)
अवर सचिव,

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 27/01/2017

पृष्ठांक 0 एफ 6-7 / 2013 / सात / नजूल
प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण / मान.राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य भूमि सुधार आयोग, भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
9. विभागाध्यक्ष (समस्त), मध्यप्रदेश।

10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया नीति परिपत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
11. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
12. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित है कि मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर अपलोड करें।
13. विभाग की गार्ड फाईल में मूल प्रति रखी जाए।


अवर सचिव,

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग